

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज०)
 पीठासीन अधिकारी:- पंकज शर्मा
 (आर.ए.एस.)

दावा बाबत घोषणार्थ एवं रिकार्ड दुरुस्ती

अन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तादाई

मुकदमा नम्बर :- 33/2020 (लालचन्द बनाम इन्द्राज वगै०)

निर्णय दिनांक :-02.04.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, पंकज शर्मा(आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादी मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुकम दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 02.04.2025 द्वारा पारित निर्णयानुसार ग्राम लुट्टु के ख०न० 580, 613, 614, 618, 621, 859 कुल कित्ता 6 कुल रकबा 7.97 है० भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी को मुताबिक विक्रय पत्र दिनांक 20.08.2008 एवं हक हिस्सा अनुसार 0.22 है० भूमि का संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पूर्व का बैंक रहन घोषित काश्तकारान् पर नियमानुसार दर्ज किया जावे। दावा फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफतर हो।

मेरे दस्तखत व मुहर आदलत से आज तारीख 02.04.2025 को जारी की गई।



पंकज शर्मा
 (पंकज शर्मा)
 उपखण्ड अधिकारी,
 मलसीसर